

न्यायालय—न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड, जिला बड़वानी
(समक्ष— 'शरद जोशी')

आप.प्रक.क्रमांक 697 / 2014
संस्थित दिनांक 13.10.2014
फाईलिंग क्र. 232804002122014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
ठीकरी, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

— अभियोगी

वि रू द्ध

1. रोहित पिता कालुराम बलाई,
उम्र 24 वर्ष,
2. कमलेश पिता कल्याण बलाई,
उम्र 22 वर्ष,
3. माखन पिता सुभाष बलाई,
उम्र 24 वर्ष,
4. महेश पिता छोटेलाल बलाई,
उम्र 32 वर्ष,
सभी निवासी बागडीपुरा, थाना
धामनोद, जिला बड़वानी

— अभियुक्तगण

अभियोजन तर्फ एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्तगण तर्फ अभिभाषक — श्री विशाल कर्मा

—: नि र्ण य :—

(आज दिनांक 27.06.2018 को घोषित)

आरोपीगण रोहित, कमलेश, माखन व महेश के विरुद्ध दिनांक 11.09.14 को रात्रि 02:00 बजे, ए.बी. रोड, बायपास ठीकरी फाटे पर वाहन लोडिंग जीप क्र. एम. पी. 09 जी.ई. 0425 में नग 4 बैलों को मारपीट कर कूरतापूर्वक मुंह एवं पैर बांधकर, उन्हें वध करने के प्रयोजन से अन्य राज्य महाराष्ट्र ले जाने और वध करने की सम्भावना से उन्हें राज्य से बाहर ले जाने के लिए पशु कूरता निवारण अधिनियम 1860 की धारा 11(डी), मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 6/11 तथा मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6/9 के अंतर्गत तथा आरोपी रोहित के विरुद्ध उक्त वाहन को बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति के चलाये जाने के

आप.प्रक.क्रमांक 697 / 2014
संस्थित दिनांक 13.10.2014

// 2 //

फाईलिंग क्र. 232804002122014

कारण मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अंतर्गत तथा आरोपी महेश के विरुद्ध उक्त वाहन को अप्राधिकृत व्यक्ति से चलवाने जाने के कारण मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 का आरोप है।

02— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.09.2014 को थाना ठीकरी पर पदस्थ प्रधान आरक्षक हरिओम यादव को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति धामनोद तरफ से एक लोडिंग जीप क्र. एम.पी. 09जी. ई. 0425 में अवैध रूप से वध हेतु बैलों को ठुस-ठुस कर निर्दयता पूर्वक भरकर महाराष्ट्र तरफ ए बी रोड से लेकर जा रहे हैं। सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान हिरा व सारुख को सूचना से अवगत कराकर आरक्षक भुपेन्द्र व उक्त पंचनों को हमराह लेकर मुखबीर के बताये स्थान ए बी रोड बायपास ठीकरी फाटा पर पहुंचे, थोड़ी देर आने-जाने वाले वाहनों को चौक करते वाहन क्र. एम.पी. 09 जी.ई. 0425 आते हुये दिखा जिसे हमराह फोर्स व पंचानों की मदद से रोका व चौक करते वाहन में चार नग बैल ठुस ठुस कर भरे मिले जिनके मुँह व पैर बंधे मिले व चालक सहित दो अन्य व्यक्ति बैठे मिले, जिनसे नाम पता पूछने अपना राम रोहित पिता कालु ने वाहन में बैलों को भरकर वध हेतु महाराष्ट्र तरफ ले जाना बताया व कमलेश पिता कल्याण तथा माखन पिता सुभाष निवासी बागडीपुरा थाना धमनोद जिला धार का होना बताया। उक्त तीनों आरोपीगण से वैध अनुज्ञा पत्र मांगने पर नहीं होना बताया। बैलों को मय वाहन के उक्त पंचनों के समक्ष विधिवत जप्त कर अभियुक्तगण को न्यायालय में पेश करने तथा जप्तशुदा बैलों को मय वाहन के वृन्दावन गौशाला भगवानपुरा पहुंचा व बैलों को अस्थाई सुपुर्दनामें पर जिम्मे किया बाद आरोपीगणों को मय वाहन के थाने लाया व बाद अपराध पंजीबद्ध कर, विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया, जप्तशुदा बेलो को भगवानपुरा गौशाला छोड़ा, जप्तशुदा बैलों का मेडिकल करवाया तथा अभियुक्त रोहित द्वारा लायसेंस पेश ना करने पर धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय द्वारा अभियुक्तगण को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860 की धारा 11(घ), मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 6/11 तथा मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6/9 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 5/180 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उनकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। दंप्रसं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में प्रवेश कराये जाने पर किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराना प्रकट किया।

आप.प्रक.क्रमांक 697 / 2014

// 3 //

संस्थित दिनांक 13.10.2014

फाईलिंग क्र. 232804002122014

04— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 11.09.14 को रात्रि 02:00 बजे, ए.बी. रोड, बायपास ठीकरी फाटे पर वाहन लोडिंग जीप क्र. एम.पी. 09 जी.ई. 0425 में नग 4 बैलों को मारपीट कर कूरतापूर्वक मुंह एवं पैर बांधकर परिवहन किया?
(ii)	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त 4 बैलों को वध करने के प्रयोजन से या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका वध किया जाएगा, वध करने हेतु महाराष्ट्र राज्य की ओर परिवहन किया ?
(iii)	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त 4 बैलों को वध करने की सम्भावना या यह ज्ञान रखते हुए कि इस प्रकार वध किया जाएगा, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या बाहर परिवहन किया ?
(iv)	क्या अभियुक्त रोहित ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति के चलाया ?
(v)	क्या अभियुक्त महेश ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को अप्राधिकृत व्यक्ति से चलवाया ?

— विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष —

// विचारणीय प्रश्न क्र. 1,2,3,4 व 5 //

05— उपरोक्त पांचों ही विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर, साक्ष्य की पुनरावृत्ति की रोकने व संक्षिप्तता की दृष्टि से प्रकरण में इनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

06— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियोजन ने जप्ती प्रमाणित नहीं की है तथा जप्ती की कार्यवाही संदेहपूर्ण है। जप्ती की कार्यवाही मौके पर नहीं की गयी है। स्वतंत्र साक्षीगणों ने भी जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

07— इसके विपरीत अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध

प्रमाणित किया है।

08— इस संबंध में विचार करने पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी अनुसंधानकर्ता हरिओम यादव (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि दिनांक 11.09.2014 को रात्रि लगभग 1:30 बजे थाने के टेलीफोन पर मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति धामनोद की ओर से एक लोडिंग वाहन क्र. एम.पी. 09 जी.ई. 0425 में अवैध रूप से बैलों को निर्दयतापूर्वक छोटे से वाहन में भरकर उनके वध हेतु महाराष्ट्र राज्य के तरफ ए बी रोड से लेकर जा रहे थे। उसने मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर पंचान हिरा व शाहरूख को तलब कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराया तथा आरक्षक भुपेन्द्र व साक्षियों को साथ लेकर ठीकरी फाटा पहुंचा, थोड़ी देर उसने आने-जाने वाले वाहनों को रोका व जांच करते वाहन क्र. एम.पी. 09 जी.ई. 0425 आते दिखा, जिसे रोककर जांच करने पर उसके अंदर 4 नग बैल भरे हुए थे, जिनके मुंह एवं पैर रस्सियों से बंधे हुए थे तथा वाहन के अंदर चालक के साथ 2 व्यक्ति सहयोगी के तौर पर बैठे हुए थे।

09— साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि, उसने चालक से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रोहित बताया तथा साथ बैठे व्यक्तियों ने अपने नाम कमलेश पिता कल्याण व माखन पिता सुभाष बताया। अभियुक्तगण से बैलों को ले जाने के स्थान के बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने बैलों को महाराष्ट्र राज्य वध हेतु ले जाना बताया। अभियुक्तगण से बैलों को वैध परिवहन के संबंधित दस्तावेज दिखाने का बोलने पर उनके पास कोई भी दस्तावेज होना नहीं पाये थे। साक्षी ने आगे यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा मौके से ही साक्षियों के समक्ष अभियुक्त रोहित के कब्जे से लोडिंग वाहन क्र. एम.पी. 09 जी.ई. 0425 जिसमें 4 नग बैल लाल व सफेद रंग के एवं 12 नग रस्सियों के टुकड़े जिससे बैलों को निर्दयतापूर्वक उनके मुंह एवं पैर बांधे गये थे, को जप्त कर प्रदर्श पी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह जप्तशुदा सामग्री एवं अभियुक्तगण को थाना ठीकरी लेकर आया था तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 199/14 प्रदर्श पी 12 का अपराध पंजीबद्ध कर उसके ए से ए एवं बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने न्यायालय से अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने का आदेश प्राप्त करने हेतु प्रदर्श पी 10 का आवेदन केस डायरी के साथ प्रस्तुत किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। न्यायालय से अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त होने पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी 2 लगायत प्रदर्श पी 4 के गिरफ्तारी पंचनाम बनाये थे जिनके सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— उक्त साक्षी के द्वारा जप्तशुदा बैलों को भगवानपुरा गौशाला में छोड़ा था। जप्तशुदा बैलों का चिकित्सकीय परीक्षण पशु चिकित्सक ठीकरी से करवाया था। उसके द्वारा अनुसंधान के दौरान साक्षीगण हीरालाल, शाहरूख तथा आरक्षक भुपेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। अपराध में प्रयुक्त

वाहन के पंजीकृत स्वामी आरोपी महेश को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी 9 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन एवं बैलों को राजसात किए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक बड़वानी के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी बड़वानी को पत्र क. 1706 दिनांक 11.09.2014 का दिया था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बड़वानी से जिला दण्डाधिकारी बड़वानी को जप्तशुदा सामग्री राजसात किये जाने के संबंध में पत्र भेजा गया था, जिसकी प्रति प्रदर्श पी 11 की पुलिस थाना ठीकरी को प्राप्त हुई थी।

11— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी हमराह आरक्षक भूपेन्द्र भार्गव (अ.सा.4) ने जप्तीकर्ता अधिकारी हरिओम यादव (अ.सा.7) के कथनों का समर्थन किया है। जप्ती के स्वतंत्र साक्षी हीरालाल (अ.सा.1), शाहरूख (अ.सा.2) ने जप्ती का लेखमात्र भी समर्थन नहीं किया है, उक्त दोनों साक्षीगण ने जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 2 लगायत प्र.पी. 4 पर अपने हस्ताक्षर होना आवश्यक स्वीकार किया है किन्तु जप्त शुदा वाहन टैम्पो कं. एम.पी. 09 जी.ई. 0425 जिसमें 04 नग बैल जप्त किये जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। उक्त दोनों साक्षीगण हीरालाल व शाहरूख क्रमशः (अ.सा.1) व (अ.सा.2) ने अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछने पर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में भी उक्त साक्षीगण ने जप्ती व गिरफ्तारी के संबंध में पुष्टिकारक कथन नहीं किये हैं। साक्षी हीरालाल (अ.सा.1) एवं शाहरूख (अ.सा.2) ने पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी. 5 व प्र. पी. 6 देने से इंकार किया है।

12— अतः प्रस्तुत प्रकरण में जप्ती के स्वतंत्र साक्षी हीरालाल (अ.सा. 1) व शाहरूख (अ.सा.2) के कथन ही विचार योग्य हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत प्रमोद कुमार विरुद्ध स्टेट (एन.सी.टी.) ऑफ दिल्ली ए.आई.आर. 2013 सुप्रीम कोर्ट 3344 तथा गोविन्दा राजु उर्फ गोविन्द विरुद्ध स्टेट ऑफ श्रीरामपुरम पी.एस. एवं अन्य ए.आई.आर. 2012 सुप्रीम कोर्ट 1292 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि,

" The testimony of police personnel should be treated in the same manner as testimony of any other witness. The principle of law that without corroboration by independent witness, the testimony of police personnel can not be relied on. The presumption that a person acts honestly applies as much in favour of a police personnel as of other persons and it is not a proper judicial approach to distrust and suspect them without good reasons. As a rule it can not be stated that police officer can or can not be sole eye witness in a criminal case. Statement of police officers can be relied upon and even form basis of conviction when it is reliable, trustworthy and preferably corroborated by other evidence."

13— उक्त न्यायदृष्टांत के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि, स्वतंत्र साक्षी के समर्थन के अभाव में पुलिस साक्षियों के कथनों पर विश्वास किया जा सकता है किन्तु पुलिस साक्षियों के कथनों में किसी भी प्रकार की संदिग्धता एवं विरोधाभास नहीं होना चाहिये एवं जिस कारण उनकी साक्ष्य का मूल्यांकन अत्यन्त सुक्ष्मता से किया जाना आवश्यक है।

14— प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में विचार किये जाने पर जप्तीकर्ता अधिकारी हरिओम यादव (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि, मौके पर ही वाहन एवं मौका ठीकरी फाटे पर ही बैल जप्त किये गये थे किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रं. 05 में बचाव पक्ष के यह सुझाव को स्वीकार किया है कि, जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 में थाने का अपराध क्रं. 199/14 पर दर्ज की है एवं यह भी स्वीकार किया है कि, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के पश्चात् ही प्र.सू.प्रतिवेदन लेखबद्ध किया जाता है तभी अपराध क्रमांक लिखा जाता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, प्र.सू.प्रतिवेदन लिखने के पूर्व ही प्र.पी. 1 के जप्ती पंचनामे में अपराध क्रमांक लिख दिया था। यद्यपि साक्षी ने स्वतः कहा कि, भुलवश लिखा गया होगा।

15— जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि, अपराध क्रं. 199/14 अंकित है एवं जप्ती की कार्यवाही दोपहर 02:00 बजे हुयी है एवं प्र.सू.प्रतिवेदन की कायमी 03:10 मिनिट पर हुयी है। इसी प्रकार साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रं. 6 में यह स्वीकार किया है कि, प्र.सू.प्रतिवेदन प्र.पी. 12 के एफ से एफ भाग पर जहां पर समय का उल्लेख है वहां ऊपरी लेखन किया है।

16— उक्त साक्षी के कथन से भी यह स्पष्ट है कि, कार्यवाही मौके पर नहीं की गयी है जबकि पहले थाने पर आकर प्र.सू.प्रतिवेदन दर्ज किया एवं पश्चात् जप्ती की कार्यवाही की गयी है। प्र.सू.प्रतिवेदन में समय के स्थान पर की गयी काट छाट व ऊपरी लेखन से भी जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है।

17— प्रस्तुत प्रकरण में जप्ती साक्षियों के कथन स्वतंत्र साक्षियों के कथनों के अभाव में तथा जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाने से विश्वास योग्य नहीं है और इस कारण हमराह साक्षी जो पुलिसकर्मी है के कथन भी विश्वास योग्य नहीं है।

18— अभियोजन की ओर से पशु चिकित्सक साक्षी डॉ. एस.के. दांगौडे (अ.सा.3) ने जप्तशुदा बैल का चिकित्सकीय परीक्षण किया है और बैलों पर रगड के निशान पाये है तथा चारो पशु कृषि कार्य हेतु उपयोगी थे, जहां तक रगड के निशान का प्रश्न है, चिकित्सक साक्षी डॉ. दांगौडे (अ.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रं. 05 में यह स्वीकार किया है कि, बैलों को आयी हुयी चोटे दीवार से रगडाने एवं किसी वस्तु से टकराने से आ सकती है, चूंकि जप्ती की कार्यवाही ही संदेहास्पद है। अतः पशु कुरता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता

है।

19— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि, बैलों को वध के प्रयोजन से अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था।

20— जप्तीकर्ता अधिकारी हरिओम यादव (अ.सा.7) ने अपने कथन में यह भी नहीं बताया है कि, अभियुक्त रोहित वाहन को बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति के चला रहा था तथा अभियुक्त महेश द्वारा वाहन को अप्राधिकृत व्यक्ति से चलवाया जा रहा था। इस प्रकार प्रश्नगत समय पर वाहन के संबंध में अभियुक्त रोहित के पास लाईसेंस न होना तथा अभियुक्त महेश के द्वारा उक्त वाहन को अप्राधिकृत व्यक्ति से चलवाने के संबंध में उक्त साक्षी के द्वारा किसी प्रकार के कथन नहीं किये गये हैं। अतः घटना के समय अभियुक्त रोहित के पास लाईसेंस नहीं था तथा अभियुक्त महेश के द्वारा उक्त वाहन को अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाये जाने के संबंधित तथ्य को भी अभियोजन प्रमाणित नहीं कर पाया है।

21— अतः अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि, अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 11.09.14 को रात्रि 02:00 बजे, ए.बी. रोड, बायपास ठीकरी फाटे पर वाहन लोडिंग जीप क्र. एम.पी. 09 जी.ई. 0425 में नग 4 बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुंह एवं पैर बांधकर ले जा रहे थे। अभियुक्तगण ने उक्त समय, घटना व स्थान पर 04 नग बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुये उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है। अभियुक्तगण ने उक्त घटना समय व स्थान पर वाहन लोडिंग जीप क्र. एम.पी. 09 जी.ई. 0425 में नग 4 बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुंह एवं पैर बांधकर उक्त 4 बैलों को वध करने की सम्भावना या यह ज्ञान रखते हुए कि इस प्रकार वध किया जाएगा, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या बाहर परिवहन किया, अभियुक्त रोहित ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति के चलाया तथा अभियुक्त महेश ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को अप्राधिकृत व्यक्ति से चलवाया।

22— उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त रोहित पिता कालुराम को धारा 11 घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 एवं धारा 4,6 सहपठित धारा 9, म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम, अभियुक्त कमलेश पिता कल्याण को धारा धारा 11 घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 एवं धारा 4,6 सहपठित धारा 9, म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, अभियुक्त माखन पिता सुभाष को धारा 11 घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 एवं धारा 4,6

आप.प्रक.क्रमांक 697 / 2014
संस्थित दिनांक 13.10.2014

// 8 //

फाईलिंग क्र. 232804002122014

सहपठित धारा 9, म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 तथा अभियुक्त महेश पिता छोटेला को धारा 11 घ पशु कुरता निवारण अधिनियम 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 एवं धारा 4,6 सहपठित धारा 9, म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम, के अंतर्गत दण्डनीय आरोपों से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित करता है।

23— अभियुक्तगण के द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के प्रमाण-पत्र बनाये जाए ।

24— अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

25— चूंकि प्रकरण में जप्त सम्पत्ति वाहन लोडिंग जीप क्र. एम.पी. 09 जी. ई. 0425 एवं 4 बैलों के संबंध में राजसात की कार्यवाही जिला कलेक्टर, बड़वानी के समक्ष लम्बित है, अतः उक्त जप्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आदेश नहीं दिया जा रहा है।

26— निर्णय की एक प्रति कलेक्टर, बड़वानी की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु भेजी जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही /—

सही /—

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.